भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2584

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

26 फाल्गुन, 1946 (शक)

मनः प्रभावी दवाओं का उपयोग

†2584. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में किशोरों के बीच मेथिलीनडाईऑक्सीमेथामफेटामाइन (एमडीएमए) जैसी मन:प्रभावी दवाओं के बढ़ते उपयोग के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान नाबालिगों के संबंध में नशीली दवाओं से संबंधित वर्षवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर विद्यालयों, महाविद्यालयों और नाइटलाइफ हॉटस्पॉट में ऐसी नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता को रोकने के लिए उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) राजस्व विभाग, नई दिल्ली के तहत एक कानून प्रवर्तन एजेंसी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) तथा कस्टम जांच विभाग, सीबीआईसी के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है।

तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की सीमा और नमूने पर एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई थी। इस सर्वेक्षण के अनुसार मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का विवरण इस प्रकार है:

पदार्थ	बच्चे एवं किशोर (10-17 वर्ष)	वयस्क (18-75 वर्ष)

	प्रसार (%)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या	प्रसार (%)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
शराब	1.30	30,00,000	17.10	15,10,00,000
कैनबिस	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
ओपीऑइड्स	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
सिडेटिव	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
इनहेलएंट्स	1.17	30,00,000	0.58	60,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
हैलुसिनोजन	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वे विशिष्ट जानकारी नहीं रखते है।तथापि, वर्ष 2018 से 2022 के दौरान नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों और पकड़े गए किशोरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी अनुबंध में है।

(ग) और (घ) सरकार ने विशेषकर स्कूलों, कॉलेजों और नाइटलाइफ़ हॉटस्पॉट में ऐसी दवाओं की आसान उपलब्धता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

I. गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र की स्थापना की है।

II. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के प्रतिनिधि नियमित आधार पर स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों के खिलाफ समाज के कमजोर वर्गों को जागरूक करने के लिए मादक द्रव्यों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं।

III. एनसीबी हर साल 26 जून को एनसीबी की सभी क्षेत्रीय इकाइयों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करता है ताकि आम जनता में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और तस्करी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

IV. राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पदार्थ-मादक" निषेद अनुसंधान केंद्र" (मानस) को 24x7, टोल-फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में बनाया गया था। तदनुसार मानस को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से ड्रग से संबंधित मुद्दों/समस्याओं को लॉग इन, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एकल मंच प्रदान करता है।

V. एनसीबी ने बच्चों में विशेषकर स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के इलाकों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठाए, तथा "संयुक्त कार्य योजना (जेएपी)" तैयार की। इस योजना में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें राज्य प्राधिकरणों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, शिक्षकों, अभिभावकों और नागरिक समाज संगठनों सहित कई हितधारकों की समन्वित कार्रवाई शामिल है।

VI. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मादक द्रव्यों के उपयोग के मामलों से निपटने के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना लागू कर रहा है। इसके तहत, निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

क. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए।

ख. नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ, किशोरों में मादक द्रव्यों के उपयोग की प्रारंभिक रोकथाम के लिए कम्यूनिटी बेस्ड पीयर लेड इन्टरवेंसन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी), तथा

ग. नशे की लत उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

VII. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन '14446' शुरू की गई है, जिसके माध्यम से सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

VIII. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरुआत 272 चिन्हित संवेदनशील जिलों में की गई थी और अब इसे देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुँच बनाना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

IX. अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 14.79+ करोड़ लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.96+ करोड़ युवा और 2.97+ करोड़ महिलाएँ शामिल हैं। 4.16+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता से यह सुनिश्चित हुआ है कि इस अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँच सके।

इसके अलावा, समय-समय पर संशोधित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में धारा 2(viii ख) के तहत परिभाषित मादक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और नियंत्रित

पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कड़े प्रावधान हैं।साथ ही, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय IV में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराधों और उसके लिए दंड के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। राजस्व विभाग, एनएफसीडीए नियम, 2006 और उसके तहत दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र आवेदकों को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण कोष (एनएफसीडीए) के तहत धनराशि प्रदान करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशामुक्ति और पुनर्वास आदि पर जागरूकता कार्यक्रमों में सहायता करता है।

*****

अनुबंध

वर्ष 2018-2020 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर) और गिरफ्तार किए गए किशोर (जेए)																			
क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018						2019						2020					
		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम **(कुल) (क +ख)**		**व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए मादक द्रव्यों को रखना (क)**		**तस्करी के लिए मादक द्रव्यों को रखना (ख)**		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम **(कुल) (क +ख)**		**व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए मादक द्रव्यों को रखना (क)**		**तस्करी के लिए मादक द्रव्यों को रखना (ख)**		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम **(कुल) (क +ख)**		**व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए मादक द्रव्यों को रखना (क)**		**तस्करी के लिए मादक द्रव्यों को रखना (ख)**	
		सीआर	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**	**सीआर**	**जेए**
1	आंध्र प्रदेश	12	17	0	0	12	17	3	4	1	2	2	2	28	27	17	17	11	10
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
4	बिहार	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	4	4	0	0	4	4	1	1	0	0	1	1	10	11	0	0	10	11
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	2	4	0	0	2	4	2	3	0	0	2	3	1	1	0	0	1	1
8	हरयाणा	7	10	4	5	3	5	8	8	4	4	4	4	28	28	6	6	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	10	11	3	3	7	8	15	16	5	5	10	11	12	12	4	4	8	8
10	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	कर्नाटक	8	10	4	5	4	5	6	8	5	7	1	1	7	8	3	4	4	4
12	केरल	12	12	7	7	5	5	4	5	4	5	0	0	6	7	5	5	1	2
13	मध्य प्रदेश	19	21	11	11	8	10	34	35	25	25	9	10	16	16	2	2	14	14
14	महाराष्ट्र	18	20	11	13	7	7	18	27	14	23	4	4	8	8	3	3	5	5
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	3	3	1	1	2	2
16	मेघालय	2	3	0	0	2	3	3	3	3	3	0	0	1	1	1	1	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	3	3	3	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
20	पंजाब	23	24	7	7	16	17	18	18	4	4	14	14	15	16	8	9	7	7
21	राजस्थान	11	13	3	4	8	9	17	22	10	10	7	12	22	24	11	13	11	11
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	21	28	12	18	9	10	33	40	18	21	15	19	44	45	21	21	23	24
24	तेलंगाना	5	9	1	1	4	8	11	12	6	6	5	6	13	15	5	5	8	10
25	त्रिपुरा	2	2	0	0	2	2	4	4	1	1	3	3	1	1	0	0	1	1
26	उत्तर प्रदेश	4	4	0	0	4	4	8	8	4	4	4	4	12	12	10	10	2	2
27	उत्तराखंड	3	3	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0	2	3	1	2	1	1
28	पश्चिम बंगाल	12	12	1	1	11	11	13	15	0	0	13	15	24	23	2	1	22	22
	कुल राज्य	**180**	**212**	**69**	**80**	**111**	**132**	**208**	**240**	**108**	**124**	**100**	**116**	**256**	**264**	**102**	**106**	**154**	**158**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

31	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव+	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	3	3	2	2	1	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0
33	जम्मू और कश्मीर*	10	12	5	7	5	5	6	6	0	0	6	6	5	5	2	2	3	3
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**16**	**18**	**8**	**10**	**8**	**8**	**11**	**12**	**2**	**2**	**9**	**10**	**8**	**8**	**5**	**5**	**3**	**3**
	कुल (अखिल भारत)	**196**	**230**	**77**	**90**	**119**	**140**	**219**	**252**	**110**	**126**	**109**	**126**	**264**	**272**	**107**	**111**	**157**	**161**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: '+' पूर्ववर्ती दादर और नगर हवेली और दमन और दीव यूटी तथा दमन और दीव यूटी का 2018, 2019 के लिए संयुक्त डेटा

2018, 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

वर्ष 2021-2022 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर) और गिरफ्तार किए गए किशोर (जेए)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021						2022					
		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (कुल) (ए+बी)		व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए दवाओं को रखना (ए)		तस्करी के लिए मादक पदार्थों को रखना (बी)		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (कुल) (ए+बी)		व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए दवाओं को रखना (ए)		तस्करी के लिए मादक पदार्थों को रखना (बी)	
		करोड़	जेए	करोड़	जेए	करोड़	जेए	करोड़	जेए	करोड़	जेए	करोड़	जेए
1	आंध्र प्रदेश	42	51	12	17	30	34	45	64	9	17	36	47
2	अरुणाचल प्रदेश	5	19	5	19	0	0	2	4	1	2	1	2
3	असम	7	7	1	1	6	6	17	17	8	8	9	9
4	बिहार	1	1	0	0	1	1	1	22	1	22	0	0
5	छत्तीसगढ	8	8	1	1	7	7	27	31	0	0	27	31
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	2	2	1	1	1	1	3	3	1	1	2	2
8	हरियाणा	12	13	6	7	6	6	13	14	12	12	1	2
9	हिमाचल प्रदेश	18	19	7	7	11	12	11	12	4	4	7	8
10	झारखंड	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	9	10	6	7	3	3	9	10	8	9	1	1
12	केरल	4	4	2	2	2	2	5	5	3	3	2	2
13	मध्य प्रदेश	59	61	0	0	59	61	11	12	1	1	10	11
14	महाराष्ट्र	16	16	11	11	5	5	15	16	12	12	3	4

15	मणिपुर	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
18	नगालैंड	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
20	पंजाब	24	25	16	17	8	8	37	37	18	18	19	19
21	राजस्थान	36	38	15	16	21	22	34	36	19	20	15	16
22	सिक्किम	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
23	तमिलनाडु	44	48	26	26	18	22	81	101	53	68	28	33
24	तेलंगाना	29	34	12	14	17	20	18	18	9	9	9	9
25	त्रिपुरा	1	1	0	0	1	1	5	7	0	0	5	7
26	उत्तर प्रदेश	7	7	7	7	0	0	2	2	1	1	1	1
27	उत्तराखंड	2	2	2	2	0	0	2	2	1	1	1	1
28	पश्चिम बंगाल	18	20	2	2	16	18	13	13	0	0	13	13
	कुल राज्य	**355**	**397**	**135**	**160**	**220**	**237**	**355**	**430**	**164**	**211**	**191**	**219**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
31	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	3	3	2	2	1	1	9	10	3	3	6	7

33	जम्मू और कश्मीर	9	9	3	3	6	6	13	14	4	5	9	9
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	2	2	2	2	0	0	9	9	8	8	1	1
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**14**	**14**	**7**	**7**	**7**	**7**	**32**	**34**	**15**	**16**	**17**	**18**
	कुल (अखिल भारत)	**369**	**411**	**142**	**167**	**227**	**244**	**387**	**464**	**179**	**227**	**208**	**237**

स्रोत: भारत में अपराध

****